न्यायालय अवर न्यायाधीश, बलिया।

दीवानी वाद सं0– 243/09

महेश्वर ताँती वगै0–––––वादी

बनाम

नन्दकिशोर सिंह वगै0–––––प्रतिवादी

04/03/2021 उभयपक्ष उपस्थित है। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता पुकार पर कोर्ट में उपस्थित है। दिनांक– 23/10/2019 के प्रदर्श अंकित करने के संबंध में दाखिल आवेदन एवं उसके प्रतिउत्तर दिनांक– 06/12/2019 को उभयपक्षों को सुना।

दिये हुए आवेदन के अनुसार वादी का कहना है कि दिनांक– 08/08/2001 के मूल केबाला और रेन्ट रशीद सं0– 67, 23, 63 दिनांक– 03/08/2012, मूल केबाला दिनांक– 16/04/1987, दिनांक– 23/06/1995, दिनांक– 07/02/2000 और दिनांक– 10/01/1983 तथा रेन्ट रशीद सं0– 6508/16 एवं 61, 66, 80 को दाखिल किया गया है और सभी कागजात पब्लिक Document के श्रेणी में आते हैं। इसको प्रदर्श अंकित किया जाए। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता जबाव दाखिल करे। इसका विरोध किया है।

मूल केबाला और मूल रेन्ट रशीद पब्लिक Document के श्रेणी में नहीं आता है। अतः वादी का आवेदन पोषणीय नहीं है इसको खारिज किया जाता है तथा वादी को निर्देशित किया जाता है कि अगर उन्हें इन सभी कागजात को प्रदर्श अंकित करना है तो इनका Detail देते हुए Fresh और proper दाखिल कर सकते हैं।

वाद दिनांक– 29/04/2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, बलिया।